

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-1/श्रम वि०स्था(1)10-17/2022 श्र०सं०...../श्री अश्विनी कुमार, श्रम अधीक्षक, नालन्दा को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 230 में निहित प्रावधान के तहत निम्नांकित अवधिओं के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है :-

| क्र० | अवकाश अवधि/प्रकृति                                             |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1    | दि० 01.10.2023 से 31.10.2023 तक कुल 31 दिन<br>(उपार्जित अवकाश) |
| 2    | दि० 04.01.2024 से 04.02.2024 तक कुल 32 दिन<br>(उपार्जित अवकाश) |

2. इसके उपरान्त श्री अश्विनी कुमार के पक्ष में दिनांक 05.02.2024 तक कुल 45 दिनों का उपार्जित अवकाश आदेय रह जायेगा।

ह०/-  
( राजीव रंजन )  
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था(1)10-17/2022.....97...../श्र०सं० पटना, दिनांक-07/01/25

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा० नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/श्री अश्विनी कुमार, श्रम अधीक्षक, नालन्दा एवं आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव